23

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

{'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23)' से संबंधित समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई}

तेइसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

तेइसवां प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

{उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23)' से संबंधित समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई}

09.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

09.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

समिति की संरचना.....		**IV**
प्राक्कथन.....		**V**
अध्याय- एक	प्रतिवेदन.....	**1**
अध्याय- दो	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	**4**
अध्याय- तीन	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है.....	**24**
अध्याय-चार	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	**25**
अध्याय- पांच	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.....	**26**

परिशिष्ट

एक.	समिति की 09.11.2022 को हुई ..... बैठक का कार्यवाही सारांश ।	**32**
दो.	समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	**34**

संरचना

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

लोक सभा

1. **श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति**
2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
5. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
6. श्री गंगासांद्र सिडप्पा बसवराज
7. सुश्री देबश्री चौधरी
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
10. श्री सनगन्ना अमरप्पा कराडी
11. श्री खगेन मुर्मु
12. श्री मितेष रमेशभाई पटेल
13. श्री सुब्रत पाठक
14. श्री गणेशन सेल्वम
15. डॉ. अमर सिंह
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. डॉ. फौजिया खान
24. श्री बाबू राम निषाद
25. श्री राजमणि पटेल
26. श्री सकलदीप राजभर
27. डॉ. अंबुमणि रामादास
28. श्री सी. वी. षनमुगम
29. श्री हरभजन सिंह
30. सुश्री दोला सेन*
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	अपर सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	निदेशक
3.	श्री राम लाल यादव	अपर निदेशक
4.	श्री डाँग लीएंथनग तोनसिंग	अवर सचिव

देखिए समाचार भाग-दो, पैरा सं.5293, दिनांक 13 सितंबर, 2022 से समिति का गठन।
*देखिए समाचार भाग-दो पैरा सं.5313, दिनांक 12 अक्तूबर, 2022 से नामनिर्दिष्ट।

प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदान की मागों (202**2**-202**3**) पर समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के **तेइसवें** प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तेइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. **तेइसवें** प्रतिवेदन 22.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। सरकार ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तर इंगित करने वाले प्रतिवेदन को 15.06.2022 को प्रस्तुत किया।

3. समिति ने **09.11.2022** को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **अनुबंध-दो** में दिया गया है ।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2022
_____, 1944(शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति
खाद्य, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) विषय पर समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (2021-2022), (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 उन्नीसवां प्रतिवेदन 22 मार्च 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में 21 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

1.3 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 21 टिप्पणियों/सिफ़ारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इनका श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
पैरा सं. : 3.4, 4.34, 4.35, 4.36, 4.40, 6.11, 7.5, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50 **और** 9.9

कुल-15

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती
पैरा सं. : शून्य

कुल- शून्य

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
पैरा सं. : 4.37

कुल-01

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं
पैरा सं. : 1.10, 4.38, 4.39, 5.9 **और 6.12**

कुल-05

अध्याय-पांच

1.4 समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

1.5 समिति अब सरकार द्वारा कुछ सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

उपभोक्ता आयोगों का सुदृढीकरण

सिफारिश सं. 5 (पैरा सं. 4.37)

1.6 मंत्रालय ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति यह नोट करती है कि 2021-22 में, जिला उपभोक्ता आयोग भवन और गैर-भवन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को कुल 279. 40 लाख रुपए का आवंटन जारी किया गया था । समिति इस पहल की सराहना करती है और चाहती है कि उसे इससे संबंधित स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति ने यह भी नोट किया कि विभाग को झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों से इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग ने बताया है कि इन अनुरोधों की संवीक्षा की जा रही है। अतः समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह राज्यों के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अंतिम रूप दे और इस संबंध में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निधियाँ जारी करे।"

1.7 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:-

" कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि जारी की गई 279.40 लाख रूपये की उक्त राशि, वर्तमान में रजिस्ट्रार-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केएससीडीआरसी के नाम पर बचत बैंक खाते में रखी गई हैं। नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी दोनों की मैपिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। अधिकार-प्राप्त समिति की कार्यवाही प्राप्त होने के बाद संस्वीकृत राशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

झारखंड, छत्तीसगढ़ , कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में, **यह सूचित किया जाता है** कि विभाग ने इन राज्यों से लंबित उपयोग प्रमाणपत्र, अपेक्षित

प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करने, मैंडेट फॉर्म आदि जैसे मुद्दों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इन राज्यों से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी।"

1.8 समिति ने अपने प्रतिवेदन में जिला उपभोक्ता आयोग भवन और गैर-भवन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को जारी की गई 279.40 लाख रुपये की निधि की स्थिति से अवगत होना चाहा। विभाग ने उल्लेख किया है कि राज्य की अधिकार प्राप्त समिति ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और समिति की कार्यवाहियाँ प्राप्त होने के बाद राशि के उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तर में किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं था जिसके भीतर समिति की कार्यवाही को भेजे जाने, संसाधित किये जाने तथा संबंधित पक्ष द्वारा आवंटित निधियों को खर्च किया जाना अपेक्षित है। अतः समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराते हुए विभाग को सुझाव देती है कि जिला उपभोक्ता आयोग के भवन एवं गैर-भवन परिसम्पत्तियों के शीघ्र निर्माण करने के लिए मामले को तेज़ी से आगे बढ़ाए। उत्तर स्पष्ट रूप से मौन और खुला है, उस अवधि का उल्लेख किए बिना, जिसके भीतर समिति की कार्यवाही को संबंधित द्वारा आवंटित धन को भेजने, संसाधित करने और खर्च करने की आवश्यकता होती है। अतः समिति ने अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराते हुए विभाग को सुझाव दिया कि जिला उपभोक्ता आयोग के भवन एवं गैर-भवन परिसम्पत्तियों के शीघ्र निर्माण हेतु मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया जाए।

समिति ने आगे नोट किया कि विभाग को योजना के तहत निधियां जारी करने के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और विभाग से प्राथमिकता के आधार पर उनके प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और इस सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए निधियां जारी करने का आग्रह किया था। तथापि, समिति से विभाग ने यह कहते हुए एक सामान्य सा उत्तर दिया है कि उसने इन राज्यों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं, जैसे लंबित यूसी, अपेक्षित प्रोफॉर्म में प्रस्ताव प्रस्तुत करना, मैंडेट फॉर्म आदि, जो कि समिति को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने नोट किया कि प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद से काफी समय बीत जाने के बाद भी विभाग अपनी ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं कर पाया है। अत: समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराते हुए विभाग से प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने का आग्रह करती है।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 2 (पैरा सं. 3.4)

2.1 समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) को 1599.00 करोड़ रुपये आंका गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपनी दो अम्ब्रेला योजनाओं अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। समिति नोट करती है कि इन अंब्रेला योजनाओं के अलावा, विभाग मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार) कार्यक्रम भी लागू करता है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण की अम्ब्रेला योजना में उपभोक्ता आयोग को मजबूत करने की योजनाएं, देश में उपभोक्ता आयोग का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट), एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) शामिल है, विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन की योजना में विधिक माप विज्ञान को सुदृढ़ करना, नेशनल टेस्ट हाउस और गोल्ड हॉलमार्किंग, मानक संबंधित क्षमता निर्माण और अनुसंधान और विकास कार्य शामिल है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता मामलों के विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनमें देश के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए व्यापक गतिविधियों को शामिल किया गया है। हालांकि, समिति नोट करती है कि 2022 23 में रखे गए 1599 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 2021 22 की इसी अवधि के संशोधित अनुमान से कम रखा गया है, अर्थात 2453.64 करोड़ रुपए और वास्तविक व्यय 2175.69 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय जो आवंटन से कम था, फिर भी समिति इस बात पर ज़ोर देती है कि विभाग को इस निधि का उपयोग करने में हर संभव प्रयास करने चाहिए और उचित योजना के साथ विवेकपूर्ण तरीके से अपनी यू योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि कोई राशि सरकारी खजाने में वापस ना जाए और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।

सरकार का उत्तर

2.2 केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण एसेईंग/हॉलमार्किंग केन्द्र स्थापित करने की स्कीम के अन्तर्गत किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया है। अव्ययित राशि को अगले वर्ष व्यय के लिए अग्रेनीत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस निधि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से स्कीमों के पूर्ण कार्यान्वयन के उद्देश्य से, बीआईएस प्रत्येक वर्ष कमी वाले स्थानों में केंद्रीय सहायता के साथ स्वर्ण एसेईंग/हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित कर रहा है। केंद्र की शीघ्र स्थापना, यदि आवश्यक हो, तो सहायता के लिए आवेदकों के साथ निरंतर संपर्क रखा जाता है।

इस स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष कारीगरों, एएचसी कर्मियों और बीआईएस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय सहायता के साथ कमी वाले स्थान पर एएचसी की स्थापना के लिए एक ईओआई भी आमंत्रित किया गया था और इन कमी वाले जिलों में एएचसी स्थापित करने के लिए, 51 कमी वाले स्थानों के लिए 59 आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सिफारिश सं. 3 (पैरा सं. 4.34)

2.3 समिति पाती है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ था। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए 44 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे संशोधित स्तर पर संशोधित कर 42 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति को यह जानकर निराशा हुई, कि यह राशि भी पूरी तरह से खर्च नहीं की गई थी और 11.2.2022 को लक्ष्य के लगभग 20.2% से कम थी। समिति यह समझती है कि इस शीर्ष के तहत, उपभोक्ता मंचों को मजबूत करने, उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट) और एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को वित्तपोषित और कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए, समिति का यह मत है कि जब तक आवंटित राशि का उपयोग आवंटन के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन योजनाओं के

लक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती हैं कि वे वित्त की कड़ी निगरानी के साथ-साथ उनके पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें।

सरकार का उत्तर

2.4 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, उपभोक्ता संरक्षण स्कीम के लिए संशोधित अनुमान के स्तर पर आबंटित 42 करोड़ रूपये के बजट में से, उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण, कॉन्फोनेट और आईसीजीआरएस स्कीम पर 41.78 करोड़ व्यय किए गए, जिससे लगभग 99.5% की उपलब्धि प्राप्त हुई।

सिफारिश सं. 4 (पैरा सं. 4.35)

2.5 समिति ने अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में निम्नवत् सिफारिश की:-

" समिति नोट करती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के वेतन और किराया खर्च के लिए क्रमशः 10 लाख रुपये और 65 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और शिकायतों की जांच करने की शक्ति दी गई है। समिति यह भी नोट करती है कि सीसीपीए एक किराए की साइट से क्रियाशील है जिसके लिए 1.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, समिति का सुविचारित मत है कि किराये के परिसर के बजाय, जहाँ जगह की कमी है, सीसीपीए का अपना परिसर होना चाहिए जिसमें उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान हो।

समिति यह नोट करती है कि टेलीविजन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन उनकी वास्तविकता का पता लगाए बिना प्रसारित किए जा रहे हैं जो देश के उपभोक्ताओं को काफी हद तक गुमराह करते हैं। समिति का मानना है कि अधिकांश उपभोक्ता साक्षर नहीं है और यह पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, ऐसे विज्ञापनों से गुमराह हो जाते हैं और आसानी से फंस जाते और इस तरह उत्पाद के फायदे और नुकसान को सोचे समझे बिना विज्ञापित वस्तुओं को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं और बाद में उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। समिति से देश के निर्दोष उपभोक्ताओं के साथ छल-कपट का कार्य मानती है। इसलिए समिति विभाग को इस व्यापक समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए फर्जी विज्ञापनों पर एक सख्त निगरानी तंत्र की स्थापना की सिफारिश करती है। इस संदर्भ में समिति यह भी चाहती है कि जिस एजेंसी/कंपनी के विज्ञापन फर्जी पाए जाते हैं, उन पर भविष्य

में भारी जुर्माना या सजा के साथ विज्ञापन की सूची से हटा दिया जाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इत्यादि में प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों पर रोक लग सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके। समिति विभाग को इस प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो, संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने की भी सिफारिश करती है।"

2.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:-

"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ है, जिसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापन, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, से संबंधित मामलों को विनियमित करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने के साथ-साथ, जहां एक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा की कमी के कारण उपभोक्ताओं का एक वर्ग प्रभावित होता है, वहां स्वत: संज्ञान लेकर शिकायतें करने और जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त है।

अब तक, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरूध 85 नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 38 मामले भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित हैं। नोटिस जारी होने के बाद 14 कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस ले लिए हैं और 3 कंपनियों ने सुधारात्मक विज्ञापन के लिए सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त, सीसीपीए ने 05 मामलों, जिसमें कंपनी के दावे झूठे और भ्रामक पाए गए या उन्होंने उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए, में जुर्माना भी लगाया है।

सीसीपीए ने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एशिया को भारत में अपने सेंसोडाइन उत्पाद के सभी विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया, जिसमें यूके में प्रैक्टिस करने वाले विदेशी दंत चिकित्सकों द्वारा समर्थन दिखाया गया था और "पूरे विश्व के डेंटिस्टों द्वारा अनुशंसित"; "विश्व का नंबर 1 सेंसिटिव टूथपेस्ट" का दावा करने वाले विज्ञापन को बंद करने का भी निर्देश दिया गया क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए दावे निराधार थे। इसके अतिरिक्त, सीसीपीए ने इसके झूठे और भ्रामक विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नापतौल पर भी उसके सभी भ्रामक विज्ञापनों और मैग्नेटिक नी सपोर्ट - आपके घुटनों के लिए तत्काल दर्द से राहत, एक्यूप्रेशर योगा स्लिपर्स / एक्यूप्रेशर मसाज स्लिपर्स, 200 रुपये में स्वर्ण

आभूषण (इसके नाम से उपभोक्ताओं को गुमराह करना) के संबंध में विज्ञापन में किए गए झूठे दावे को बंद करने के निर्देश के साथ 10,00,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने विज्ञापन में दावा किया कि उनके उत्पाद सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं ताकि उपभोक्ताओं पर तत्काल निर्णय लेने का दबाव डाला जा सके और उपभोक्ताओं को एक सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय से वंचित किया जा सके। इस प्रकार कंपनी को उपभोक्ताओं के दिमाग में कमी का भ्रम बनाकर और उपभोक्ता को यह नहीं सूचित करके कि यह एक पूर्व-रिकॉर्डेड क्रिएटिव था, उनकी भावनाओं का शोषण करते हुए पाया गया।

सीसीपीए ने श्योर विजन इंडिया को अपने उत्पाद "श्योर विजन" के विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि "यह स्वाभाविक रूप से दृष्टि में सुधार करता है, आंखों के तनाव को खत्म करता है, सिलिअरी मांसपेशियों का व्यायाम करता है, विश्व का सबसे अच्छा यूनिसेक्स सुधार उपकरण" और इस पर 10, 00, 000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि कंपनी ने उत्पाद की प्रभावकारिता के संबंध में कोई वैज्ञानिक/प्रयोगशाला परीक्षण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए उनके द्वारा कोई विशिष्ट विपणन अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

उपभोक्ता मामले विभाग गामा (भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध शिकायत) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल भी संचालित करता है, जहां उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीसीपीए, गामा पोर्टल पर दर्ज शिकायतों, जो उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, पर भी विधिक कार्रवाई करता है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ("एनसीएच") का संचालन करता है। उपभोक्ता एनसीएच पर टोल फ्री नंबर, एसएमएस, ऑनलाइन, कंज्यूमर एनसीएच एप, उमंग एप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा एक नया टोल फ्री नंबर "1915" शुरू किया गया है। सीसीपीए, एनसीएच के साथ मिलकर कार्य करता है और किसी भी भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार प्रथा जैसे कि वस्तु के किसी विशेष मानक, गुणवत्ता, मात्रा में होने के संबंध में झूठा प्रतिनिधित्व, कंपनी द्वारा प्रदान की गई दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं में कमी के मामले में धनवापसी/रिप्लेसमेंट प्रदान न किए जाने के मामले में विधिक कार्रवाई करता है।

सीसीपीए ने कोविड-19 महामारी के दौरान, जब कंपनियां उपभोक्ता संवेदनशीलता का लाभ उठा रही थीं, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के संबंध में और साथ-ही कंपनी की वेबसाइटों पर ई-कॉमर्स नियम, 2020 के अनुसार विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का पालन करने के लिए सभी मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी भी जारी कीं।

इसके अतिरिक्त, सीसीपीए ने ऐसी वस्तुओं, जिन पर वैध आईएसआई चिह्न नहीं होता है और जिनमें उत्पाद के लिए अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन किया जाता हैं अर्थात् हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर के साथ-साथ इलेक्ट्रिक इमर्सन वाटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी वाले घरेलू गैस स्टोव सहित घरेलू सामानों आदि के प्रति उपभोक्ताओं को सतर्क करने और सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस भी जारी किए हैं।

सीसीपीए ने सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का उल्लंघन करने वाले नकली और जाली वस्तुओं की बिक्री को रोकने और बीआईएस मानकों के अनुरूप सामान खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और समझ में वृद्धि करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। दैनिक उपयोग के सामान, जो आमतौर पर अधिकांश घरों में उपलब्ध होते हैं, को अभियान के हिस्से के रूप में अभिचिह्नित गया है, जिनमें - हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं।

इस संबंध में, सीसीपीए ने देश भर के जिला कलेक्टरों को उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण और बिक्री से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए पत्र लिखा है।

सीसीपीए ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव को जागरूकता का प्रसार करने और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है।

सीसीपीए ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक को अनिवार्य मानकों के उल्लंघन का तत्काल संज्ञान लेने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बीआईएस की सभी क्षेत्रीय शाखाओं को विधिवत अधिसूचित करने के लिए भी पत्र लिखा है।

हेल्मेट के मामले में बीआईएस द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कंपनी का नाम	की गई कार्रवाई (तलाशी और जब्ती अभियान)
1	मेसर्स एचयूएफ इंटरप्राइजेज और मेसर्स फेम इंटरप्राइजेज	दुपहिया वाहन सवारों के लिए बिना आईएसआई चिह्न वाले 747 हेलमेट जब्त किए गए।
2	मेसर्स राइडर ऑटो एक्सेसरीज	दोपहिया वाहन सवारों के लिए बिना आईएसआई चिह्न वाले 85 हेलमेट जब्त किए गए।
3	मेसर्स आदेश्वर राइडर्स एरिना	दोपहिया वाहन सवारों के लिए बिना आईएसआई चिह्न वाले 14 हेल्मेट जब्त किए गए।
4	मेसर्स प्रोजेक्ट रिवोल्ट एलएलपी (मैसर्स लेज़ी एस बाइकर्स)	दोपहिया वाहन सवारों के लिए बिना आईएसआई चिह्न वाले 90 हेल्मेट जब्त किए गए।

प्रेशर कुकर के मामले में बीआईएस द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कंपनी का नाम	की गई कार्रवाई (तलाशी और जब्ती अभियान)
1	मेसर्स राजा रतन इंडस्ट्रीज	कुल 963 घरेलू प्रेशर कुकर उपलब्ध थे और उन्हें अनुपयोगी माना गया। विभिन्न क्षमताओं (3लीटर से 12लीटर) के 04 घरेलू प्रेशर कुकर जब्त किए गए और साक्ष्य के तौर पर लाए गए। सुपरदारी जारी करने के साथ शेष मात्रा को सील कर फर्म में छोड़ दिया गया।
2	मेसर्स सोहिल इम्पेक्स	छापेमारी के दौरान कुल 10 इनवॉयस जब्त किए गए। इसके बाद, फैक्ट्री परिसर में एक और छापेमारी की गई जहां 20 प्रेशर कुकर, गैर-आईएसआई घरेलू प्रेशर कुकर पैकिंग के लिए 20000 कोरूगेटेड बॉक्स और 3 बिक्री इनवॉयस जब्त किए गए।
3	मेसर्स टेकशिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	47 गैर-आईएसआई घरेलू प्रेशर कुकर जब्त किए गए।
4	मैसर्स हार्डट्रैक कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	02 गैर-आईएसआई घरेलू प्रेशर कुकर और बिक्री के 3 इनवॉयस जब्त किए गए।

सिफारिश सं. 5 (पैरा सं. 4.36)

2.7 समिति नोट करती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुरूप अर्ध-न्यायिक उपभोक्ता आयोग चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयास को बढ़ावा देने हेतु, उपभोक्ता मामले विभाग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान

कर रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग को उनके प्रभावी कामकाज के लिए न्यूनतम स्तर की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सके। हलांकि, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि 2019-20 में बजट अनुमान के चरण पर 600 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया था जिसे संशोधित कर 494 लाख रुपये कर दिया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल 353.62 लाख रुपए हुआ। दोबारा 2020-21 में वास्तविक व्यय पूरा खर्च नहीं किया जा सका। समिति इससे बेहद निराश है कि विभाग द्वारा वास्तविक स्तर पर बार-बार कम किए गए आवंटन को भी व्यय नहीं किया जा रहा है। समिति इस प्रवृत्ति के कारणों को नहीं समझ पा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति सशंकित है कि 2022-23 के बजट अनुमान में प्रस्तावित 600 लाख रुपये की राशि शायद ही पूरी तरह से खर्च हो पाएं और हो सकता है निधि को सरकारी खजाने में वापस कर दिया जाएगा। समिति को आशा है कि विभाग विवेकपूर्ण ढंग से योजना तैयार करने के लिए कड़े कदम उठाएगा और 2022-23 में विभाग को आवंटित निधि को पूर्ण खर्च करेगा।

सरकार का उत्तर

2.8 उपभोक्ता आयोग का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/एडमिनिस्ट्रेटर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। विभाग में प्रस्तावों की जांच निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों, पिछले अनुदानों के उपयोग, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और पीएफएमएस पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों के पंजीकरण के मद्देनजर की जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से पत्रों और बैठकों के माध्यम से लंबित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, पीएफएमएस पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों का पंजीकरण करने और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है ताकि स्कीम के तहत निधियां जारी की जा सकें।

सिफारिश सं. 9 (पैरा सं. 4.40)

2.9 समिति यह नोट करती है कि एनसीडीआरसी और 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक ई-दाखिल पोर्टल डिजाइन/विकसित और कार्यान्वित किया गया है जो उपभोक्ताओं को 624 उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि यह केवल कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जबकि अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस सुविधा को शीघ्रातिशीघ्र सभी उपभोक्ता आयोगों तक पहुंचाया जाए। समिति चाहती है कि उसे इस मामले के संबंध में प्राप्त होने वाली नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.10 वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र), दमन और दीव और डीएनएच (संघ राज्य क्षेत्र), मिजोरम और पुडुचेरी को छोड़कर, एनसीडीआरसी और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल पोर्टल कार्यशील है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-दाखिल को कार्यशील करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 11 (पैरा सं. 6.11)

2.11 समिति नोट करती है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति (सीपीएसएफएमसी) द्वारा केंद्र में मूल्य स्थिरीकरण प्रचलनों का निर्धारण किया जाता है जिसके पुनर्गठन के बाद से 53 बैठकें हो चुकी हैं। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने वर्ष 2019-20 2020-21 और 2021-22 में पीएसएफ के अंतर्गत आवंटित निधियों में से क्रमश: 93.60%, 94.36% और 89.6,% व्यय कर दिया है। तथापि समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान खराब होने के कारण 51582.74 मीट्रिक टन प्याज बर्बाद हो गया था। समिति ने पाया कि हाल के महीनों में प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई है और इतनी अधिक मात्रा में प्याज की बर्बादी होना विभाग के खराब प्रबंधन को दर्शाता है, जिसने आगामी बजट वर्ष 2022-23 में अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा 4 एलएमटी प्याज खरीदने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्याज की भारी मात्रा में खरीद और इसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग प्याज के उचित भंडारण की व्यवस्था करे ताकि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्याज के मूल्यों में आए दिन होने वाले उतार-चढ़ाव को रोका जा सके तथा कालाबाजारी को रोका जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग यथापरिश्रम और अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ बाजार मध्यस्थता का संचालन करे और विशेषकर बाजार अस्थिरता संभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उचित निगरानी करे।

सरकार का उत्तर

2.12 विभाग ने प्याज के बफर स्टॉक में भंडारण हानि को कम करने को अत्यधिक महत्व दिया। वर्ष 2021-22 में, बफर में प्याज के लंबे समय तक भंडारण के कारण नुकसान का प्रतिशत वर्ष 2020-21 में लगभग 28% से घटाकर 25.96% हो गया है। प्याज को पारंपरिक रूप से खुली हवादार चालों में संग्रहित किया जाता है और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का विकास अभी भी प्रायोगिक चरण में है। प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए, विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के मुख्य नवोन्मेष अधिकारी के मार्गदर्शन में एक हैकथॉन शुरू किया है। हैकथॉन में किसानों द्वारा निर्मित कांदा चॉल के डिजाइन में सुधार, उपज-पूर्व देखभाल, प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे सुखाने, कवक संक्रमण के लिए उपचार, उचित तापमान पर भंडारण और मूल्य रक्षा के संबंध में मुद्दों के व्यापक समाधान को कवर किया जाएगा।

विभिन्न केंद्रों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और अखिल भारतीय स्तर पर कीमतों के रुझान की निगरानी करके स्थानीय और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर से प्याज को लक्षित और अंशांकित तरीके से रिलीज किया जा रहा है।

सिफारिश सं. 13 (पैरा सं. 7.5)

2.13 समिति यह नोट करती है कि उपभोक्ता जागरुकता योजना के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं। समिति पाती है कि वर्ष 2021-22 के लिए 44.50 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया था और इस प्रस्ताव में से संशोधित अनुमान चरण में केवल 51% अर्थात 23 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। समिति यह देख कर अत्यंत निराश है कि इस राशि में से विभाग ने 11 फरवरी 2022 तक 21.9 करोड रुपए अर्थात 95.61 प्रतिशत का ही उपयोग किया है। 2022-23 के बजट में 25.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। समिति यह नहीं समझ पाई है कि विभाग बजट अनुमान स्तर पर भारी राशि का प्रस्ताव करता है जिसे संशोधित करके काफी हद तक कम कर दिया जाता है परंतु फिर भी संशोधित निधियों का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है या उन्हें खर्च ही नहीं किया जाता है तथा उन्हें सरकारी राजकोष में वापस जमा कर दिया जाता है । अतः समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि वास्तविक व्यय के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है तो इससे योजना का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाता है और योजना बनाने की पूरी कवायद बेकार होती है जिसके परिणामस्वरूप धन को वापस सरकारी राजकोष में जमा करना पड़ता है। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय अपनी योजनाएं वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार

करे ताकि इतनी महत्वपूर्ण प्रकृति की योजना बाधित न हो और इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से शून्य प्रसार लागत पर जागरुकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया है। समिति विभाग की इस पहल की सराहना करती है और यह राय देती है कि यदि इसे राजकोष पर लागत का बिना कोई भार डाले अक्षरशः कार्यान्वित किया जाता है तो इससे काफी लाभ होगा। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.14 संशोधन अनुमान स्तर पर पूरे विभाग के बजट में कमी के कारण, 'उपभोक्ता जागरूकता' स्कीम के लिए 44.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 23.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 11 फरवरी, 2022 तक 23.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 21.99 करोड़ रुपये, अर्थात् 95.61% का व्यय किया गया। विभिन्न मीडिया अभियानों के लिए किए गए व्यय के अलावा, सोशल मीडिया, पंचायती राज संस्थानों, ग्राम सभाओं और Mygov प्लेटफॉर्म के माध्यम से शून्य प्रसार लागत पर जागरूकता उत्पन्न की गई है। प्रभाग की प्रतिबद्ध देयताएँ थी, जिन्हें 11 फरवरी, 2022 के बाद कम किए गए बजट के कारण संशोधित करना पड़ा और प्रभाग, 31 मार्च, 2022 तक 23 करोड़ रुपये के पूरे बजट का उपयोग करने में सक्षम रहा।

सिफारिश सं. 14 (पैरा सं. 8.44)

2.15 समिति ने नोट किया है कि उपभोक्ता मामले विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) के भार और माप (डब्ल्यू एंड एम) अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहा है, जो वाणिज्यिक स्तर तक कानूनी माप विज्ञान और भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), रांची के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि 2021-22 में 15 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से, योजना के लिए संशाधित अनुमान चरण में 7.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी और वास्तविक व्यय 31.1.2022 को 6.51 करोड़ रुपये का था। समिति ने यह पाया कि अभी भी लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाने शेष हैं। समिति सर्वोच्च महत्व की इस योजना के निष्पादन के लिए व्यय की इस गति से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह अपने वित्त में अनुशासन लाए और

विवेकपूर्ण ढंग से योजनाएं तैयार करे तथा निधियों का आबंटन विवेकपूर्ण ढंग से करे ताकि इस संबंध में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े।

सरकार का उत्तर

2.16 सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्त का समुचित उपयोग किया जाता है तथा विवेकपूर्ण तरीके से व्यय के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी।

सिफारिश सं.15 (पैरा सं. 8.45)

2.17 मंत्रालय ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति नोट करती है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (एसएसएल), कार्य मानक प्रयोगशाला, नियंत्रक कार्यालय आदि को देखते हुए प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किया था और मिजोरम, मध्य प्रदेश और केरल से अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, इनमें से किसी भी राज्य ने आगे की सहायता जारी करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र और संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप, बाद के सहायता अनुदान को जारी नहीं किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक उपस्करों की आपूर्ति के लिए घटक मांग को भी पूरा नहीं किया गया था। समिति विभाग द्वारा इसके लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है कि बजट अनुमान को संशोधित किए जाने के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे। उनका मत है कि केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कोई बात है, जिसके कारण दोनों में उचित समन्वय नहीं है। समय पर निधियां जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोधों/मांगों/उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग करने के संबंध में अत्यधिक तत्परता नहीं दिखाई गई थी। समिति चाहती है कि विभाग इस क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने वाले अपने समन्वयकों को नियुक्त करे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र की योजना के निष्पादन के लिए निधियों को जारी करने में किसी भी प्रकार के विलंब से बचने के लिए राज्यों के साथ पूर्ण समन्वय किया जा सके। समिति ने यह भी नोट किया है कि विभाग ने राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। वे मंत्रालय की इस पहल की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि विभाग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके पेश आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करे।"

2.18 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:-

" मानक प्रयोगशालाओं एवं नियंत्रक कार्यालयों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए सहायता अनुदान के सटीक एवं सामयिक उपयोग को सुनिश्चित करने की उचित व्यवस्था की जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक उपकरणों की आपूर्ति के लिए निधि के उपयोग की शुरुआत की गई है।

विभाग कार्यान्वयन की प्रगति पर बारीकी से निगरानी करेगा और निधि का उपयोग करवाने के लिए भरसक यथार्थ प्रयास करेगा।"

सिफारिश सं. 16 (पैरा सं. 8.46)

2.19 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने आरआरएसएल और आईआईएलएम, रांची के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए हैं। तथापि, उन्हें पता चला है कि आरआरएसएल, नागपुर की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी जिसके कारण भवन के निर्माण में देरी हुई। वे इस बात से निराश है कि भूमि की अदला-बदली की गई और उप निदेशक रैंक के एक अधिकारी से निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर, समिति को अवगत कराया गया है कि केंद्र द्वारा पूर्व में जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अगली सहायता जारी नहीं की जाती है। विभाग ने यह भी सूचित किया है कि राज्य की मांग, बजट में संशोधन किए जाने के बाद प्राप्त हुई थी। समिति का मत है कि विभाग को निधि जारी करने के लिए भवन के प्रस्तावित निर्माण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समिति इसे विभाग की ओर से एक उदासीन दृष्टिकोण मानती है जिसके परिणामस्वरूप, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को ऐसी महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए अनुदान जारी करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय रखना चाहिए। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रावधान किए हैं। उन्हें पता चला है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं किए जा सके। तथापि, दूसरी ओर, राज्य सरकारों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 पर नई पहलों पर 24-25 नवंबर, 2021 को एनआईटीएस में एक कार्यशाला

सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। समिति इसे लापरवाही का कार्य मानती है और विभाग को अपने सभी कार्यक्रमों के आयोजन में एकरूपता रखने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

2.20 यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएगें कि प्रयोगशाला भवन निर्माण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूओआई के विधिक मापविज्ञान अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए आबंटित निधि का उपयोग समय पर और गुणवत्ता पर समझौता किए बिना विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

विभाग क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनों की बारीकी से निगरानी करेगा।

सिफारिश सं. 17 (पैरा सं. 8.47)

2.21 समिति नोट करती है कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 2016 में सिफारिश की थी कि विभिन्न प्रणालियों में समय की गैर-एकरूपता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराधों की जांच में समस्याएं पैदा करती है और परिणामस्वरूप, देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटरों का राष्ट्रीय समय के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय मानक समय (आईएसटी) को लागू किए जाने और इसके प्रसार से, समय के प्रसार में त्रुटि को केवल कुछ मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड तक कम कर दिया जाएगा। सटीक समय प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और साइबर सुरक्षा को बढ़ाएगा। समिति को यह जानकर खुश है कि विभाग ने मार्च, 2023 तक निर्धारित समय-सीमा के साथ समय प्रसार परियोजना शुरू की है। समिति सामाजिक, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पर ही नहीं बल्कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराधों पर प्रभाव डालने वाली समय प्रसार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित करने में देरी होने के पीछे के तर्क को समझ नहीं पा रही है। इसलिए समिति विभाग से समय प्रसार परियोजना को अंतिम रूप देने पर त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश करती है। समिति यह चाहती है कि उसे इस प्रयोजन के लिए की गई कार्रवाई से जल्द से जल्द अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.22 इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान में प्रदान की गई निधि पर्याप्त है क्योंकि दूसरों के साथ समन्वय में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) द्वारा समय प्रसार परियोजना के लिए उपकरणों की खरीद आरंभ नहीं की जा सकी है।

हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे कि प्रयोगशाला भवन निर्माण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूओआई के विधिक मापविज्ञान अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए आबंटित निधि का गुणवत्ता पर समय से बिना किसी समझौता के न्यायसंगत तरीके से उपयोग किया जाएगा।

विभाग कार्यान्वयन की प्रगति पर बारीकी से निगरानी करेगा और निधि का उपयोग करवाने के लिए भरसक यथार्थ प्रयास करेगा।

सिफारिश सं. 18 (पैरा सं. 8.48)

2.23 समिति नोट करती है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केन्द्रीय सहायता प्रदान करके देश में स्वर्ण जांच और हॉलमार्किंग केन्द्रों (एएचसी) की स्थापना के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है। जबकि हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत ज्वेलर्स को पंजीकरण प्रदान किया जाता है, जांच और हॉलमार्किंग केन्द्रों को शुद्धता आदि की घोषणा के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की शुद्धता की परख करने के लिए मान्यता दी जाती है। समिति ने यह भी नोट किया है कि सोने और कलाकृतियों की बिक्री करने वाले ज्वेलर्स के लिए 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के जैवरों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन, तथापि, समिति को पता चला है कि 85 आवेदनों में से केवल 59 आवेदकों को ही एएचसी स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विभाग ने समिति को आश्वासन दिया है कि वर्ष 2022-23 में कमी वाले जिलों में और अधिक एएचसी केन्द्रों की स्थापना में तेजी लाई जाएगी जिसमें बीआईएस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में अपेक्षित सहायता दी जाएगी। समिति का विचार है कि अधिक एएचसी की स्थापना से स्वर्ण आभूषणों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और बीआईएस के तहत अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए, समिति विभाग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में ए एंड एच केंद्रों की शीघ्र स्थापना के लिए सभी प्रयास करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

2.24 भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/परख केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना स्कीम के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता भारत में 'स्वर्ण परख एवं हालमार्किंग केन्द्रों की स्थापना' के लिए एएचसी को दी जाती है जहां कोई परख एवं हॉलमार्किंग केन्द्र (सहायता प्राप्त या अन्य प्रकार की) मौजूद नहीं हो अर्थात् केवल कमी वाले स्थानों पर केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है।

- सरकार द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति एएचसी आदि की स्थापना के लिए जिलों का चुनाव, आवेदनों की स्क्रीनिंग एवं आवेदकों को आगे बढ़ने की अनुमति पर निर्णय संबंधी कार्यान्वयन समस्याओं पर निर्णय लेती है।

- 2021-22 के दौरान केन्द्रीय सहायता से कमी वाले स्थानों में एएचसी की स्थापना के लिए ईओआई आमंत्रित की गई थी। ईओआई के सम्मुख प्राप्त 85 आवेदनों को 20.12.2021 को बीआईएस मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित इसकी 35वीं बैठक में कार्यान्वयन समिति के सामने रखी गई थी। समिति ने प्रत्येक प्राप्त आवेदन पर चिंतन किया तथा 51 कमी वाले स्थान के लिए 59 आवेदकों को इन कमी वाले जिलों में एएचसी की स्थापना के लिए अनुमति दी। इन जिलों के लिए 26 आवेदन प्राप्त हुए थे जो कि कमी वाले नहीं थे अर्थात उनके पास पहले से ही एक एएचसी है तथा इस प्रकार स्कीम के योग्यता मानदंड के अनुसार इन आवेदनों को कार्यान्वयन समिति द्वारा केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया गया तथा यही आवेदकों को भी सूचित किया गया था।

कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्णयानुसार बीआईएस के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को केन्द्र की जल्द स्थापना के लिए उनके क्षेत्र के आवेदकों के साथ नियमित फॉलो अप करने का परामर्श दिया गया है।

सिफारिश सं. 19 (पैरा सं. 8.49)

2.25 समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि विभाग ने अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 2022-23 के बजट वर्ष के दौरान कारीगरों, जांच और हॉलमार्किंग सेंटरों (एएचसी) के कर्मियों और बीआईएस के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई है। समिति की राय में, यह एक अच्छी सोच है, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान 8 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग का लक्ष्य रखा है। समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में ठोस उपाय करे और विभाग द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए समुचित तैयारी सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

2.26 योजना स्कीम के लक्ष्यों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्षमता निर्माण के वार्षिक लक्ष्यों को बीआईएस के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य प्राप्त करने के परामर्श के साथ वितरित किया गया

है। इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार फॉलो अप भी किया जा रहा है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

सिफारिश सं. 20 (पैरा सं. 8.50)

2.27 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) ने केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्र के लिए समर्पित सेवा के 109 साल पूरे कर लिए हैं। समिति को यह पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बजट अनुमान चरण में 23.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी, जिसे काफी नीचे की ओर संशोधित किया गया था और संशाधित अनुमान पर 13.51 करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान की तुलना में 57% तक कम रखा गया था। समिति इस बात को नहीं समझ पा रही कि बजट अनुमान में इतनी अधिक कटौती के बाद भी विभाग पूरी निधि खर्च करने में सक्षम नहीं था, जो 1223 करोड़ रुपये रहा। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय योजनाएं तैयार करने में यथार्थवादी हो और निर्धारित निधि को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे।

सरकार का उत्तर

2.28 पूँजी एवं राजस्व शीर्ष दोनों में 2021-22 के बीई, आरई तथा एई में भिन्नता के कारण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष (स्कीम)	**बीई**	**आरई**	**एई**	**टिप्पणी**
राजस्व (3425)				
कार्यालय व्यय (ओई)	4.8	4.5	4.39	इस शीर्ष की लगभग पूर्ण धनराशि का उपयोग किया जा चुका है, अप्रयुक्त राशि, विभिन्न सेवाओं की आउटसोर्सिंग और प्रयोगशालाओं के अन्य ऊपर खर्चों के संबंध में एनटीएच की सभी शाखाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधूरे कार्य के कारण है।
यात्रा व्यय (डीटीई)	0.65	0.45	0.45	वित्त वर्ष 2021-22 में अधिकारियों के सरकारी काम और ट्रांसफर पोस्टिंग के लंबित बिलों की मंजूरी के लिए लगभग पूरी राशि का उपयोग किया गया है।

लघु निर्माण कार्य (एमडब्ल्यू)	4	3.7	3.59	वित्त वर्ष 2021-22 में सभी छः एनटीएच क्षेत्रों द्वारा सीपीडब्ल्यूडी और एएमसी द्वारा दिन प्रतिदिन के भवन रख-रखाव कार्य और विभिन्न उपकरण अंशांकन के लिए लगभग पूरी राशि का उपयोग किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	2.5	0.8	0.74	इस शीर्ष में अधिकतम राशि का उपयोग किया गया है और शेष राशि जीईएम के माध्यम से मामलों के अधूरे होने के कारण अप्रयुक्त छोड़ दिया गया है और एमआईएस आवेदन के लिए कार्य आदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीव्र किया गया है।
कुल	**11.95**	**9.45**	**9.17**	**आरई का 97%**

(करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष (स्कीम) **(5425 एवं 4552)**	**बीई**	**आरई**	**एई**	**टिप्पणी**
मशीनरी एवं उपकरण (एमई-5425)	7.6	2.2	1.98	आजकल एमई (स्कीम) के तहत उपकरणों की खरीद के सारे प्रस्ताव को टीएसी द्वारा पहले अनुमोदित किया जाता है और इसके बाद उपभोक्ता मामले विभाग से अनुमोदन प्राप्त होता है। तत्पश्चात् मांग पत्रों को मेक इन इंडिया दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीपी/जीईएम के माध्यम से अनिर्दिष्ट टी/ई के लिए तैयार किया जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है तथा इसे क्यू 1 और क्यू 2 (कम से कम) लगते हैं और जिसके लिए आवश्यक राशि का समयानुसार उपयोग नहीं किया जा सका। हालांकि, इस वित्त वर्ष में, कुल 8 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है तथा 6.26 करोड़ के लागत के 7 उपकरणों के लिए आपूर्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। 3.5 करोड़ रुपये के लागत के अन्य सात मामले प्रक्रियाधीन है।
मशीनरी एवं उपकरण (एमई-4552) /गुवाहाटी	2.35	1.35	0.44	पूर्वोत्तर क्षेत्र को योजनागत निधि में जीबीएस का 10% आबंटित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निधि नियमित पूँजीगत शीर्ष 5425 के बदले एक अलग प्रमुख शीर्ष 4552 के तहत आबंटित किए गए। उपयोग की जाने वाली राशि को नियमित पूंजी शीर्ष में पुनर्विनियोजित किया जाता है। एनटीएच (एनईआर) के लिए राजस्व शीर्ष की अनुपस्थिति में, कैपिटल शीर्षा 4552 के तहत गुवाहाटी को जीबीएस का 10% आबंटित किया गया है। राजस्व शीर्ष के

				तहत व्यय करने की आवश्यकता होने पर भी निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
एल एंड बी (5425)	1.6	0.5	0.82	0.82 करोड़ रुपये की अनुज्ञा एनटीएच (एसआर) चेन्नई में उच्च वोल्टेज प्रयोगशाला के संबंध में अंतिम बिल निपटान के लिए सीपीडब्ल्यूडी को प्राधिकृत किया गया है। निधियों का पुन: विनियोग और एमई (स्कीम) की बचत निधि से 0.22 करोड़ रुपये का उपयोग।
कुल	**11.55**	**4.05**	**3.24**	**आरई का 80%**
कुल योग (राजस्व + कैपिटल)	**23.5**	**13.5**	**12.41**	**आरई का 92%**

सिफारिश सं. 21 (पैरा सं. 9.9)

2.29 समिति नोट करती है कि विभाग ने निर्णय लिया था कि राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि बनाने के लिए 20.00 करोड़ रुपये की कायिक निधि (Corpus Fund) स्थापित करने के इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से के रूप में कुल राशि का 75% योगदान देकर सहायता प्रदान की जाएगी। इस पात्रता के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-योजनागत, अव्यपगत सार्वजनिक खाते में अपना हिस्सा जमा करना होगा। तथापि, पात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस निधि के प्रबंधन के लिए केन्द्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समिति ने यह पाया कि अभी तक केवल 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस निधि की स्थापना की है। उनकी राय में, यह संख्या संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को और सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बढ़ी हुई प्रौद्योगिकी और नवाचारों के परिदृश्य में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह समिति चाहती है कि विभाग शेष

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को जोर-शोर से आगे बढ़ाए ताकि इस निधि को जल्द से जल्द स्थापित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

2.30 सीडब्ल्यूएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र का हिस्सा केवल उन राज्यों को दिया जा सकता है जिन्होंने राज्य के हिस्से को जमा करके कॉर्पस स्थापित किया है और केन्द्र के हिस्से के लिए अनुरोध किया हो।

विभाग शेष 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉपर्स निधि तैयार करने के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले पर सख्ती से काम कर रहा है। इस दिशा में, यह विभाग अपर सचिव स्तर पर दिनांक 20 अप्रैल 2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से शेष सभी राज्यों को कॉर्पस निधि की स्थापना करने और अपना हिस्सा योजनेत्तर अव्यपगत सार्वजनिक खाते में जमा करने का अनुरोध किया था ताकि केन्द्र सरकार का हिस्सा जारी किया जा सके।

उपरोक्त के अलावा संयुक्त सचिव (उ.मा;) के माध्यम से 2 फरवरी 2022 को एक अ.शा.पत्र राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है जहां 10.00 करोड़ की कॉर्पस निधि की स्थापना की जा चुकी है, जिसे 20.00 करोड़ और बढ़ा दिया गया है और इस विभाग को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं ताकि केन्द्र का हिस्सा जारी किया जा सके।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों ने तब से राज्य का हिस्सा जमा करके कॉर्पस फंड की स्थापना की है। केन्द्र के हिस्से को जारी करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। (स्थायी समिति की अगली बैठक में उसी के अनुसमर्थन के अध्यधीन है।) इसलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कॉर्पस निधि स्थापित करने वाले 18वां और 19वां राज्य बन जाएंगे।

झारखंड, सिक्किम, मिजोरम आदि जैसे कुछ अन्य राज्यों ने कॉर्पस निधि में बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोध किया है।

यह विभाग शीघ्रातिशीघ्र कॉर्पस निधि की स्थापना/निधि में बढ़ोत्तरी के लिए सभी शेष राज्यों को दूरभाष और वीसी के माध्यम से भी अनुरोध करता रहा है।

अध्याय तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके सम्बन्ध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय – चार

सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

सिफारिश क्रम संख्या 6 (पैरा संख्या 4.37)

4.1 समिति यह नोट करती है कि 2021-22 में, जिला उपभोक्ता आयोग भवन और गैर-भवन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को कुल 279. 40 लाख रुपए का आवंटन जारी किया गया था । समिति इस पहल की सराहना करती है और चाहती है कि उसे इससे संबंधित स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति ने यह भी नोट किया कि विभाग को झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों से इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग ने बताया है कि इन अनुरोधों की संवीक्षा की जा रही है। अतः समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह राज्यों के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अंतिम रूप दे और इस संबंध में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निधियाँ जारी करे।

सरकार का उत्तर

4.2 कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि जारी की गई 279.40 लाख रूपये की उक्त राशि, वर्तमान में रजिस्ट्रार-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केएससीडीआरसी के नाम पर बचत बैंक खाते में रखी गई हैं। नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी दोनों की मैपिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। अधिकार-प्राप्त समिति की कार्यवाही प्राप्त होने के बाद संस्वीकृत राशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

झारखंड, छत्तीसगढ़ , कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में, **यह सूचित किया जाता है** कि विभाग ने इन राज्यों से लंबित उपयोग प्रमाणपत्र, अपेक्षित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करने, मैंडेट फॉर्म आदि जैसे मुद्दों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इन राज्यों से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.11 देखें)

अध्याय – पाँच

सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं

सिफारिश क्रम संख्या 1 (पैरा संख्या 1.10)

5.1 समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान ब.अ.,संशोधित अनुमान सं.अ. और वास्तविक व्यय क्रमशः 2974.1 करोड़ रुपये, 2453.64 करोड़ रुपये और 2175.69 करोड़ रुपए रखा गया था। समिति ने आगे नोट करती है कि 2021-22 के दौरान बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण पर 17.5% कम करके और 2453.64 करोड़ रुपये रखा गया था। यहाँ तक कि इस कम किए हुए वास्तविक व्यय को भी विभाग द्वारा उपयोग वास्तविक स्तर पर नहीं किया गया और इसमें 11.3% की कमी रहीं। समिति इसे चिंता के साथ नोट करती है कि 2022-23 के बजट अनुमान में, 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 70.2% की कमी की गई है और इसे 1724.88 करोड़ रुपए तक कम रखा गया है। यदि पीएसएफ के लिए आवंटन अर्थात 2022-23 तक इसके लिए 1500 करोड़ रुपए को, 1724.88 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की कुल राशि में से कम कर दिया जाए तो यह आवंटन केवल 224.88 करोड़ रुपये होगा जोकि 2021-22 के बजट अनुमान से भी 18% कम है जिसे 274.10 करोड़ रुपये रखा गया था। इस कटौती के लिए एमओएफ द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा और मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए आवंटन में कमी जैसे कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति इस बात से आशंकित थी कि 2022-23 के लिए आवंटन में इस भारी कटौती से उपभोक्ता मामले विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं को लागू नहीं कर पाएगा, जो देश के आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय को सक्रिय रूप से कार्य करने और वित्त मंत्रालय से संपर्क करने की सिफारिश करती है ताकि उन्हें देश में विशेष रूप से उपभोक्ताओं को समर्पित अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए निधि बढ़ाने के लिए लगाई गई सीमा को हटाने के लिए राजी किया जा सके। साथ ही, समिति, विभाग को इन प्रमुख योजनाओं में से प्रत्येक के संबंध में अनिवार्य मांगों और निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, केंद्रीय योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए कड़े कदम उठाने और व्यय की कड़ी निगरानी रखने के लिए प्रेरित करेगी।

सरकार का उत्तर

5.2 मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत वार्षिक बजट आबंटन, पीएसएफ कॉर्पस फंड में अंतरित कर दिया जाता है, जिसमें से पीएसएफ संचालन जैसे दालों और प्याज की खरीद, भंडारण और निपटान के लिए निधियां उपयोग की जाती हैं। इन वस्तुओं के निपटान से बिक्री की आय को वापस कॉर्पस फंड में जमा करा दिया जाता है। वर्तमान में, पीएसएफ कॉर्पस फंड में लगभग 5,400 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, इसके अतिरिक्त 2022-23 (ब.अ.) में 1500 रुपये का बजट आवंटन बफर के लिए दालों और प्याज की खरीद जैसे पीएसएफ कार्यों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने की उम्मीद है। तथापि, यदि कोई कमी होती है तो उपभोक्ता मामले विभाग अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करेगा।

सिफारिश क्रम संख्या 7 (पैरा संख्या 4.38)

5.3 समिति नोट करती है कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना को बंद कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि इस योजना को बंद करने का कारण इस योजना का कार्य क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (जेडसीएच) के कार्य के सामान होना है। समिति यह भी नोट करती है कि इस योजना के अंतर्गत 464.24 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो इसका उपयोग नहीं किया है या इसका कम उपयोग किया है तथा इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने उपयोग प्रमाण पत्रों को भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि विभाग राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न करने/कम उपयोग करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। अतः समिति विभाग को यह सुझाव देती है कि वह उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ जोरदार ढंग से उठाए और तदनुसार उन्हें इस मामले में की गई पूरी कार्रवाई से अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

5.4 संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से बैठकों/वीडियो कान्फ्रेंसिंग और पत्रों के माध्यम से नियमित रूप से इस विभाग की विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों के सापेक्ष लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा रहा है।हाल ही में दिनांक 01.12.2021 को पूर्वी राज्यों, दिनांक 25.01.2022 को दक्षिणी राज्यों, दिनांक 14.02.2022 को सभी राज्य/जिला आयोगों और दिनांक 04.03.2022, 07.03.2022 और 01.04.2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समूहों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लंबित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

हाल ही में दिनांक 29.04.2022 को संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले) के स्तर से एक पत्र भी भेजा गया है।

सिफारिश क्रम संख्या 8 (पैरा संख्या 4.39)

5.5 समिति नोट करती है कि देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग योजना (कन्फोनेट) के अंतर्गत देश भर में सभी तीन स्तरों पर उपभोक्ता आयोगों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाना है ताकि सूचना तक पहुंच आसान बनाई जा सके और मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 31 राज्य आयोगों, 6 सर्किट पीठों (सीबी) और 378 जिला आयोगों में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया है और इसके अलावा, 200 और स्थानों के लिए हार्डवेयर के नए सेट की खरीद/आपूर्ति की जा रही है जिसमें 3 राज्य आयोग, 1 सर्किट बेंच और 196 जिला आयोग शामिल हैं। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि अरुणाचल प्रदेश के 4 स्थानों, छत्तीसगढ़, दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में से प्रत्येक के 2-2 स्थानों, जम्मू-कश्मीर में 1, नागालैंड में 3 और लद्दाख में 1 स्थान को तैयार नहीं किए जाने के कारण वहां कन्फोनेट योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है। समिति मानती है कि विभाग ने इस संबंध में, उदासीन रवैया अपनाया है और यह पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग कार्यों को आदेशानुसार पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे ताकि इस मामले में उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो। समिति नोट करती है कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान, 13 उपभोक्ता आयोगों के कंप्यूटरीकरण और कन्फोनेट प्रणाली का प्रयोग करने के लिए 500 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 6 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए 2022-23 के बजट में 27.0 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया है। समिति इस पहल की सराहना करती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग 'डिजिटल इंडिया' पहल के अनुरूप उपभोक्ता आयोगों में उपकरणों/हार्डवेयर की स्थापना के लिए आवश्यक रूपरेखा/स्थल तैयार करने आदि कार्यों में तेजी लाए।

सरकार का उत्तर

5.6 उक्त 13 उपभोक्ता आयोगों के कम्प्यूटरीकरण और प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉन्फोनेट स्कीम के तहत धनराशि का उपयोग 20 उपभोक्ता आयोगों में पुराने हार्डवेयर को बदलने, लगभग 650 उपभोक्ता आयोगों में डाटा सेंटर सर्वर और सॉफ्टवेयर तथा जनशक्ति सहायता के लिए भी किया जाएगा।

जहां तक 13 उपभोक्ता आयोगों की साइट तैयार होने का प्रमाण पत्र प्राप्त न होने का संबंध है, विभाग के साथ-साथ एनआईसी (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से मामला उठाया जा रहा है।

सिफारिश क्रम संख्या 10 (पैरा संख्या 5.9)

5.7 समिति नोट करती है कि बजट अनुमान चरण में 2.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी जिसे कम करके 1.50 करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने इस आवंटन में से 11.2.2022 तक 1.38 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 को समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है अतः समिति को लगता है कि शेष धनराशि खर्च नहीं हो पाएगी जिसके परिणामस्वरुप शेष धनराशि को सरकारी राजकोष में जमा करना होगा। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग अपनी योजना विवेकपूर्ण ढंग से तैयार करे ताकि निर्धारित निधि को समय पर खर्च किया जा सके और उपभोक्ताओं को इस संबंध में, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग मूल्य संबंधी अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र व्यवसायिक संगठन की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि दिनांक 30.11.1974 और 9.6.1978 के आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिकांश शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। तथापि, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संगत अधिनियमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने और छापों के माध्यम से इन अधिनियमों का प्रवर्तन करने की नियमित रूप से सलाह देती रहती है। समिति ने यह पाया है कि इतनी अधिक संख्या में छापों/अभियोजन/दोषसिद्धि/निरूद्ध के मामलों के बावजूद केवल 10005 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 2020 में इनमें से केवल 712 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया । इसी प्रकार से 2021 में गिरफ्तार किए गए 15450 व्यक्तियों में से केवल 1034 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। समिति छापों की तुलना में इतनी कम संख्या में अभियोजन के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। समिति मानती है कि चूककर्ता अधिनियमों में निहित प्रावधानों की खामियों का लाभ उठा रहे होंगे अथवा अभियोजन से बचने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर ली होगी और अभियोजन से बचने के बाद वे पुनः भ्रष्टाचार करने लगेंगे । अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को दोषी न ठहराए जाने और उन पर मुकदमा न चलाए जाने के कारणों का पता लगाए तथा उन्हें भ्रष्टाचार करने से रोकने के लिए तुरंत कारवाई करे और यदि आवश्यक हो तो संगत अधिनियमों में संशोधन करे।

सरकार का उत्तर

5.8 मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण स्कीम के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमान आबंटित किया गया, जिसे संशोधित अनुमान में संशोधित करके 1.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2022 तक 1.44 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

" दिनांक 30.11.1974 और 09.06.1978 के आदेश द्वारा, दोनों अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। तथापि, इन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल,

गुजरात और तमिलनाडु राज्यों को इस तरह की कम दोषसिद्धि दर के कारणों को निर्दिष्ट करने के लिए और यह भी पता लगाने के लिए कि क्या चूककर्ता अधिनियमों के प्रावधानों की किन्हीं खामियों का लाभ उठा रहे हैं, एक अ.शा. पत्र जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे राष्ट्रीय परामर्शी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इन अधिनियमों का उचित कार्यान्वयन करने और सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति अधिनियम में निहित प्रावधानों में किसी भी कमी का लाभ न उठा सके।"

सिफारिश क्रम संख्या 12 (पैरा संख्या 6.12)

5.9 समिति नोट करती है कि राज्य स्तरीय कोष निधियां केंद्र-राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी के आधार पर सृजित की जाती हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच आंध्र प्रदेश; तेलंगाना; पश्चिम बंगाल; ओडिशा; तमिलनाडु और असम में केंद्र की 50.00 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए केंद्र की ओर से कुल 164.15 करोड रुपए जारी किए गए थे। हालांकि मंत्रालय बैठकें बुलाकर/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और समय-समय पर संबंधित राज्यों से राज्य उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा विवरण मंगवाकर निधियों के उपयोग की निगरानी करता रहता है परंतु फिर भी समिति ने पाया है कि या तो अधिकांश राज्य उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा इसे प्रस्तुत करने में विलंब करते हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों की ओर से निधियों के व्यय को सुनिश्चित करने के लिए उनके लेखा विवरणों की कड़ी निगरानी करने तथा उनसे अनिवार्य रूप से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

सरकार का उत्तर

5.10 विभाग ने नियमित अंतराल में राज्य स्तरीय पीएसएफ का सृजन के लिए लिखित अनुरोध भेजा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक के दौरान भी अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के संबंध में क्षेत्रीय सम्मेलन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पीएसएफ के सृजन का आग्रह किया जाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग, निधि के उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के लिए छह राज्यों, जिन्हें अग्रिम प्रदान किया गया है, के साथ नियमित पत्राचार कर रहा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 8.3.2021 को तेलंगाना से संशोधित उपयोग प्रमाणपत्र भेजने का अनुरोध किया। उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश से भी दिनांक 31.03.2022 को केवल पीएसएफ गतिविधियों के लिए आहरित निधि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र भेजने का अनुरोध किया गया

था। उपर्युक्त दो राज्यों के अलावा, शेष चार राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और तमिलनाडु को दिनांक 15.2.2022 को एक अनुस्मारक जारी कर राज्य स्तरीय पीएसएफ के तहत निधि का उपयोग करने और उपयोग प्रमाणपत्र भेजने का अनुरोध किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग उपयोग प्रमाणपत्र/निधि के उपयोग के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से पत्राचार कर रहा है।

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2022
19 कार्तिका, 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी स्थायी समिति

परिशिष्ट-एक

गोपनीय

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (वर्ष2022-2023) की बुधवार, 09 नवंबर, 2022 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1500 बजे से 1730 बजे तक समिति कक्ष '2', ब्लॉक 'ए', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री अनिल फिरोजिया
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री मितेष (आनंद) पटेल(बकाभाई),
6. श्री सुब्रत पाठक
7. डॉ. अमर सिंह
8. श्रीमती कविता सिंह
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री राजमोहन उन्नीथन

राज्य सभा

11. श्री सतीष चंद्र दूबे
12. डॉ. फौजिया खान
13. श्री बाबू राम निषाद
14. श्री राजमणी पटेल

सचिवालय

1.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	श्री राम लाल यादव	-	अपर निदेशक
4.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव

XXXX XXXX XXXX

2. XXX तत्पश्चात्, सभापति ने उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने XXXXX तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात्, समिति ने बिना किसी संशोधन/आशोधन के सर्वसम्मति से उक्त की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को स्वीकार किया और सभापति को इसमें मौखिक और परिणामी परिवर्तन, यदि कोई हो, तो करने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

XXX XXX XXX

3. XXX XXX XXX
4. XXX XXX XXX
5. XXX XXX XXX
6. XXX XXX XXX

XXX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4)

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन (2021-22) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(एक) सिफारिशों की कुल संख्या 21

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है
पैरा सं. 3.4, 4.34, 4.35, 4.36, 4.40, 6.11, 7.5, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50 और 9.9 (अध्याय-दो**,** कुल 15)

प्रतिशत 71.43**%**

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशे, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती
पैरा सं. (अध्याय-तीन**,** कुल शून्य)

प्रतिशत शून्य**%**

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशे, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं
पैरा सं. 4.37 (अध्याय-चार**,** कुल 0**1**)

प्रतिशत 4.76**%**

(पाँच) टिप्पणियां/सिफारिशे, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
पैरा सं. 1.10, 4.38, 4.39, 5.9 और 6.12 (अध्याय-पांच**,** कुल-05)

प्रतिशत 23.81**%**